रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 450] नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 11, 1972/आश्विन 19, 1894
No. 450] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 11, 1972/ASVINA 19, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY 23 NOV 1972

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 11th October 1972

S.O. 653(E)/18FB/IDRA/72.—Whereas in exercise of the powers conferred by section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government, by its Order No. S.O. 333(E)/18A/IDRA/72, dated the 4th May, 1972, authorised the Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd., New Delhi (hereinafter referred to as the Authorised Controller) to take over the management of Smith, Stanistreet and Co. Ltd., Calcutta (hereinafter referred to as the said undertaking);

And whereas the Authorised Controller had taken over the management of the said undertaking on the 8th May, 1972;

And whereas the Central Government is satisfied that it is necessary so to do in the interests of the general public with a view to preventing fall in the volume of production of drugs and pharmaceuticals;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18FB of the said Act, the Central Government hereby declares that—

(a) the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force (to which the said undertaking is a party or which may be applicable to the said undertaking) immediately before the date of publication of this Order in the Official Gazette (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions); and

(b) all rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended.

2. This Order shall remain in force up to 10th day of October, 1973.

[No. F.4/2/72-CUC.]

K. S. BHATNAGAR, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 1972

का० आ० 653(अ)/18चख/आई० डी० आर० ए०/72.--यतः उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने, अपने आदेश सं० का० आ० 333 (ई) 18ए/आई डी आर ए/72, तारीख 4 मई, 1972 द्वारा, इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि०, नई दिल्ली (जिसे इस में इसके पश्चात् प्राधिकृत नियंत्रक कहा गया है) को स्मिथ, स्टनीस्ट्रीट एण्ड कं० लि०, कलकत्ता (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त उपक्रम कहा गया है) का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था ;

और यतः प्राधिकृत नियंत्रक, ने 8 मई, 1972 को उक्त उपक्रम का प्रबंध ग्रहण कर लिया था;

और यतः केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि औषधियों और भेषजिकों के उत्पादन के परिमाण में गिरावट को रोकने की दृष्टि से जनसाधारण के हितों में ऐसा करना आवश्यक है ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 18 च ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषणा करती है कि --

(क) इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के ठीक पहले प्रवृत्त (बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से संबंधित से भिन्न) सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तान्तरण पत्रों, करारों, बंदोबस्तों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों (जिसका उक्त उपक्रम एक पक्षकार है या जो उक्त उपक्रम पर लागू हों) का प्रवर्तन; और

(ख) उक्त तारीख के पूर्व प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार; बाध्यता और दायित्व, निलंबित रहेंगे ।

2. यह आदेश 1973 के अक्तूबर के 10 दिन तक प्रवृत्त रहेगा ।

[सं० फा० 4/2/72-सी० यू० सी०]

के० एस० भटनागर, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972